



भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
Security Printing and Minting Corporation of India Limited

मिनीरत्न श्रेणी-I, सीपीएसई  
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)  
Miniratna Category-I, CPSE  
(Wholly owned by Government of India)

भा.प्र.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/148/12 (खण्ड V)/ ५१२  
SPMCIL/VIG/148/12 (Vol. V)/

दिनांक 18.04.2016  
Date: 18.04.2016  
22

परिपत्र संख्या 10/16/Circular No. 10/16

विषय/ Sub: सेवा खरीद के संदर्भ में।/Service Procurements - reg.

सतर्कता विभाग द्वारा एक मामले में यह पाया गया है कि विशेष निविदा खंड को सेवा की निविदा में इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि अधिसूचित की गई खरीद मैनुअल केवल सामग्री के लिए है तथा सेवा खरीद मैनुअल अभी तक अधिसूचित नहीं की गई है।

It has been observed by Vigilance Department in one case that a particular tender clause was not incorporated in a service tender stating that the Procurement Manual notified is only for Goods and that the Service Procurement Manual has not yet been notified.

2. इस संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट (एस.बी.डी.) (खरीद मैनुअल के पृष्ठ संख्या 253 पर प्रस्तुत), यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एस.बी.डी. 'सामग्री एवं सेवा' दोनों की खरीद के लिए है। अतः सभी संबंधितों को एतद् द्वारा यह सलाह दी जाती है कि जब तक भा.प्र.मु.नि.नि.लि. द्वारा सेवा खरीद मैनुअल अधिसूचित नहीं की जाती तब तक वे खरीद मैनुअल में दिए गए सभी दिशा-निर्देशों का सेवा खरीद की निविदाओं में भी कड़ाई से पालन करें।

2. In this regard, it is informed that as per Standard Bidding Document (SBD) (page 253 of Procurement Manual), it is clearly stated that the SBD is for both 'Procurement of Goods and Services'. Thus, all concerned are hereby advised to strictly follow all the guidelines mentioned in Procurement Manual for Procurement of Services also till Service Procurement Manual is notified by SPMCIL.

- पृष्ठ संख्या 2 पर जारी - /- Contd. at Page 2-

अशिशुभ्रण  
22/04/16

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/148/12 (खण्ड V)/ ५१२  
SPMCIL/VIG/148/12 (Vol. V)/

दिनांक 18.04.2016  
Date: 18.04.2016  
22

- 2 -

3. इस परिपत्र का व्यापक प्रसार किया जाए तथा सभी संबंधितों को जानकारी दी जाए। इसे इकाई की वेबसाइट पर भी डाला जाए तथा विभागीय सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए।

3. The widest possible publicity should be given to this circular and all concerned should be informed. It should also be uploaded on the website of the unit & displayed on the sectional notice board.

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

4. This issues with the approval of Competent Authority.

शशिभूषण बेहेरा  
22/04/16

(शशिभूषण बेहेरा)/(SHASHIBHUSHAN BEHERA)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/Dy. CVO

महाप्रबंधक/The General Manager,

टकसाल/मुद्रणालय/कागज कारखाना/नि.मु./Mints/Presses/Paper Mill/CHO,

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./SPMCIL

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक।/ CMD.
2. निदेशक (मा.सं./तक.)/मु.स.अ.।/Director (HR/Tech)/CVO.
3. अपर महाप्रबंधक (नि.मु.)।/Addl. GMs (CHO).
4. उप मु.स.अ./Dy. CVO.
5. मुख्य प्रबंधक (नि.मु.)/Chief Managers (CHO).
6. प्रबंधक (नि.मु.)/Managers (CHO).
7. सभी सतर्कता कार्यपालक (नि.मु./इकाइयां)/All Vigilance Officials (CHO/units).
8. सूचना पटल एवं वेबसाइट।/Notice Board & Website.